मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र0231/आर 1703/चार/ब–1/2011 भोपाल, दिनांक 19/02/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।

विषयः–आयोजना मद की योजनाओं तथा परियोजनाओं के फार्मुलेशन परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन हेतु व्यवस्था ।

संदर्भः–वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 81/आर 1703/चार/ब–1/2011, दिनांक 18/01/2012.

–::–

उपरोक्त विषयक संदर्भित परिपत्र का अवलोकन हो, जिसके द्वारा आयोजना मद की योजनाओं तथा परियोजनाओं की समीक्षा, प्रशासकीय अनुमोदन एवं परीक्षण सक्षम वित्तीय समितियों (स्थायी वित्तीय समिति, वित्तीय व्यय समिति एवं परियोजना परीक्षण समिति) द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गयी है ।

2/– प्रशासकीय विभाग द्वारा डी.पी.आर.,तैयार की गई संक्षेपिका को परीक्षण के लिए वित्त विभाग को भेजा जायेगा । वित्त विभाग द्वारा परीक्षण किया जाकर निर्धारित समय में अपना अभिमत अंकित करते हुए प्रस्ताव विभाग को वापिस किया जायेगा । समिति की बैठक में वित्त विभाग के प्रभारी सचिव पूर्व अभिमत के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त कर वित्त विभाग का अंतिम मत बैठक में देंगे ।

3/– किन्तु कतिपय प्रकरणों में यह देखने में आया है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करते हुए एवं बिना वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त किए तथा बिना कम से कम 7 दिवस की सूचना दिये सक्षम वित्तीय समिति की बैठक आयोजित की जा रही है।

इस परिप्रेक्ष्य में, वित्त विभाग के उपरोक्त परिपत्र की ओर पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए समिति के सदस्यों को कम से कम 7 दिवस पूर्व परियोजना अभिलेख एवं संक्षेपिका प्रक्रिया का पालन किए जाने का अनुरोध है ।

19.2.16

(डॉ.नवनीत मोहन कोठारी)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्र0232/आर 1703/चार/ब–1/2011 भोपाल, दिनांक 19/02/2016

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल , मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल,
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल,
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, इंदौर,
4. सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल।
9. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
10. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय, भोपाल ।
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।
12. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग